International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)
ISSN (Online): 2319 – 7722, ISSN (Print): 2319 – 7714
www.ijhssi.org ||Volume 09 Issue 12 Ser. II ||December, 2020 || PP. 87-90

''स्वस्थ समाज की अनिवार्यताःलोकतन्त्र''

डॉ विवेक मिश्र
असिस्टेंट प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग
सन्त विनोबा पी जी कालेज देवरिया

की वर्डस–

- लोकतन्त्र में विभिन्न प्रकार के मतवाद,
- अल्पसंख्यकों का मत अनिवार्य रूप से विचारणीय,
- प्रतिरोधों का एक सकारात्मक पहलू,
- प्रतिरोधों का दमन खतरनाक,
- बिना प्रतिरोध के प्रजातान्त्रिक व्यवस्था संभव नही,

''जनता से हमारा अभिप्राय होता है बहुसंख्यक जनता। इस प्रकार देखने को मिलता है कि प्रजातन्त्र में जो बहुसंख्यक निर्णय लेता है, सभी जनसंख्या ही उसका अनुपालन करती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए अपना निर्णय बहुसंख्यक अल्पसंख्यक पर थोप दे। जबकि वास्तव में प्रजातन्त्र का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों के लिए संरक्षणात्मक व्यवस्था कर उनके सहयोग से राजनीतिक व्यवस्था को पूर्ण प्रभावोत्पादक बनाना है। इस अल्पसंख्यकों की भावना का आन्दर प्रजातान्त्रिक मूल्यों का एक मुख्य बिन्दु है। प्रतिरोध को हमेशा नकारात्मक रूप में ही नहीं लेना चाहिए वर्तमान व्यवस्था, संस्थाओं या प्रणालियों के बेहतर विकल्प सुझाने एवम उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है।''

प्रजातन्त्र पद का प्रयोग आज वर्तमान में जिस अवधारणा के लिए होता है उसका मूल स्रोत'ग्रीस' है, वहॉ उसके लिए जो प्रचलित पद था 'डेमोक्रेसी' यह शब्द 'डेमोस' और क्रेसी से मिलकर बना है। यहॉ डेमोस का अर्थ है जनसाधारण और 'क्रेसी' का अर्थ हैशासन। इस व्यवस्था में जो जनप्रतिनिधि है वह सभी जनता द्वारा चुने जाते है और सत्ता के साथ एक राजनीतिक विपक्ष की उपस्थिति भी अनिवार्य है। भारत इन दोनों शर्तो को पूरा करते है एक सच्चे लोकतन्त्र की शर्तो को पूरा करते है, यह सर्वविदित है कि कोई भी दो व्यक्ति कभी भी प्राकृतिक या भौतिक रूप में एक समान नही पाये जाते क्यो कि उनकी मानसिकता अलग–अलग होती है। आकांक्षाए भी भिन्न–भिन्न है।

राजनीतिक दल का आशय नागरिकों के ऐसे समूह से है जो सार्वजनिक प्रश्नों के विषय में समान विचार रखते हैं। एवं राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए अपनी परिकल्पित नीति को विस्तार देने के लिए शासन तन्त्र को हस्तगत करना चाहते हैं। राजनीतिक दल प्रजातांत्रिक तथा उत्तरदायी शासन के अभिन्न अंग एवं वर्तमान राजनीति के प्रेरक शक्ति है जिसके अभाव में प्रजातंत्र शासन निष्प्राण हो जाता है क्योंकि प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था में शासन का संचालन राजनीतिक दलों द्वारा होता है।लीकॉक के शब्दों में ''राजनीतिक दल संगठित नागरिकों को उस समुदाय को कहते हैं जो एकत्र होकर एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। उनके विचार सार्वजनिक प्रश्नों पर एक जैसे होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए मतदान की शक्ति का प्रयोग कर सरकार पर अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं।''

प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य और भूमिकाः–

राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का आधार कहा जाता है। राजनीतिक दलों के बिना किसी स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं–

1. जनमत के निर्माण,
2. राजनीतिक चेतना का प्रसार,
3. चुनावों के संचालन में दलों की भूमिका
4. शासन का संचालन
5. विरोधी दल सरकार पर अंकुश रखता है।
6. दल विभिन्न प्रदेशों व वर्गों को एक दूसरे के करीब लाते हैं।
7. राजनीतिक दल दबाव गुटों के मध्य बीच–बचाव का कार्य करते हैं।
8. जनता और सरकार के बीच सम्पर्क स्थापित करते हैं।
9. समाज–सुधार और लोक कल्याण सम्बन्धी कार्य।

लोकमत के निर्माण में राजनीतिक दल सार्वजनिक समस्याओं को जनता के सम्मुख इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि साधारण जनता उन्हें समझ सकें। प्रचार के लिए जनसभाएँ व रैलियॉ करता है, समाचार–पत्र निकालता है तथा पोस्टरों और प्रचारों के द्वारा जनमत को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार जब विभिन्न राजनीतिक दल समस्याओं के सम्बन्ध में अपने दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं तो साधारण जनता इन समस्याओं को भली प्रकार समझ

कर निर्णय कर सकती है और लोकमत का निर्माण हो सकता हैं। ब्राइस के शब्दों में– 'लोकमत को प्रशिक्षित करने, उसके निर्माण और अभिव्यक्ति में राजनीतिक दलों के द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है।'

सार्वजनिक समस्याओं के सम्बन्ध में किये गये निरन्तर प्रचार और वाद–विवाद के आधार पर राजनीतिक दल सामान्य जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रूचि जाग्रत करते हैं लावेल ने कहा है कि– 'राजनीतिक दल रानीतिक विचारों के दलाल' के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव का संचालन राजनीतिक दलों द्वारा ही किया जाता है चुनावों के संचालन में राजनीतिक दलों की भूमिका जनमत के निर्माण, उम्मीदवारों के चयन, चुनाव अभियान तथा उम्मीदवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यदि मान लिया जाए राजनीतिक दल नहीं है तो इसका परिणाम यह होगा कि प्रत्येक निर्वाचन–क्षेत्र से खड़े होने वाले सदस्यों की संख्या बहुत होगी, जिसका परिणाम होगा कि मतदाताओं को पता लगाना असम्भव हो जाएगा कि कौन कैसा है और उसकी क्या नीतियॉ हैं।

संसदीय जनतंत्र में राजनीतिक दल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सदन में जिस दल का बहुमत होता है वह सरकार बनाता है। बहुमत के कारण मंत्रिमंडल संसद से मनचाहे कानून पास करा सकता है। इस प्रकार राजनीतिक दल सरकारों को स्थिरता प्रदान करते हैं।लोकतन्त्र में विरोधी दल का कर्तव्य है किवह सरकार के जन–विरोधी कार्यों की आलोचना करें और सरकार को निरंकुश होने से रोकें। भारत ब्रिटेन में सरकारी दल के नेता महत्वपूर्ण मामलों में विरोधी दल के नेताओं से पहले ही विचार–विमर्श कर लेते हैं। सदन की कार्य–सूची को प्रचार करते समय सदन का अध्यक्ष विरोधी नेतोओं से भी सलाह–मशवरा करता है। अतः विरोधी दल सरकार पर अंकुश रखता है।

भारत समेत अनेक देश हैं जहॉ भिन्न–भिन्न जातियों, मजहबों और वर्गों के लोग रहते हैं। इसके अतिरिक्त अमीर–गरीब और उत्तर–दक्षिण के भेदभाव हैं। परन्तु राजनीतिक दलों के कारण धर्म, जाति और मजहब की दूरियॉ दूर हो जाती हैं। प्रत्येक राष्ट्रीय दल में हर मजहब, हर वर्ग, हिन्दू और प्रत्येक क्षेत्र के लोग हैं। राजनीतिक दल राष्ट्रीय नेताओं राष्ट्रीय नीतियों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करते हैं।

एक लोकतंत्रीय देश में बहुत से समुदाय व गुट होते हैं। उनके अपने अलग–अलग हित होते हैं। प्रत्येक दल विभिन्न गुटों के बीच सन्तुलन कायम करने की कोशिश करता है इस तरह राजनीतिक दल 'दबाव गुटों' के मध्य बीच–बचाव का कार्य करते हैं। प्रजातंत्र का आधारभूत सिद्धांत जनता और शासन के बीच सम्पर्क बनाए रखना है और इस प्रकार का सम्पर्क स्थापित करने का सबसे बड़ा साधन राजनीतिक दल ही है। प्रजांतत्र में जिस दल के हाथ में शासन शक्ति होती है उसके सदस्य जनता के मध्य सरकारी नीति का प्रचार करते हैं तथा जनमत को अपने पक्ष में रखने का प्रयत्न करते है। विरोधी दल शासन के दोषों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त ये सभी दल जनता की कठिनाइयों एवं शिकायतों को शासन के विविध अधिकारियों तक पहुॅचाकर उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते हैं।

राजनीतिक दल समाज कल्याण के कार्यों को भी सम्पन्न करते हैं। जिसे उनकी गैर–राजनीतिक गतिविधियॉ कहा जाता है। दल अकाल, सूखा, महामारी, यूद्धों आदि आपदाओं से लोगों के कष्ट दूर करने का प्रयास करते हैं तो दूसरी ओर सामाजिक बुराइयों जैसे निरक्षरता अथवा पृथकता, अज्ञान आदि के उन्मूलन के लिए कार्य करते हैं।

इस प्रकार राजनीतिक दलों के कार्य के सम्बन्ध में प्रो0 मेरियम लिखते है– राजनीतिक दल का कार्य अधिकारी वर्ग का चुनाव करना, लोकनीति का निर्धारण करना, सरकार को चलाना और उसकी आलोचना करना, राजनीतिक शिक्षण और व्यक्ति एवं सरकार के बीच मध्यस्थता का कार्य करना है।वस्तुतः राजनीतिक दल प्रजातांत्रिक शासन की धुरी के रूप में कार्य करते हैं और प्रजातंत्र शासन के संचालन के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व नितान्त अनिवार्य है प्रजातंत्र के राजनीतिक दलों के महत्व को स्पष्ट करते हुए 'हूबर' ने लिखा है कि– 'प्रजातंत्रीय संचालन में राजनीतिक दल देव के तुल्य हैं।'

यद्यपि राजनीतिक दलों के द्वारा अनेक उपयोगी कार्य किये जाते है। किन्तु वर्तमान समय में राजनीतिक दलों के अनेक दोष हैं–राजनीतिक दल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अन्त कर लोकतंत्र के विकास में बाधक है। राजनीतिक दल के सदस्यों को सार्वजनिक क्षेत्र में अपने व्यक्तिगत विचार को त्यागकर दल की बातों का समर्थन करना पड़ता है।

दूसरा दोष यह है कि राजनीतिक दल व्यक्तिवादी हितों को राष्ट्रीय हितों से उपर समझने लगते हैं जिससे राष्ट्रीय हितों को उपर हानि पहुॅचती है।दल राजनीति में योग्य व्यक्तियों की उपेक्षा होती है एवं अयोग्य व्यक्तियों को प्रशासनिक ढांचे में स्थान मिल जाता है जिससे सम्पूर्ण प्रशासनिक स्तर में गिरावट आ जाती है।राजनीतिक दल जनता में मतभेदों को दूर करने के स्थान पर प्रोत्साहित करते हैं। व्यवस्थापिका विरोधी वर्गों में विभाजित होने के साथ–साथ देश भी विरोधी पक्षों में विभाजित हो जाता है।

व्यवहार में, राजनीतिक दलों का एकमात्र उद्देश्य 'येन केन प्रकारेण' शासन शाक्ति पर अधिकार करना है इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए नैतिक अनैतिक उपाय अपनाए जाते हैं।राजनीतिक दलों को वास्तविक संचालन गुट विशेष के थोड़े से नेताओं द्वारा किया जाता है जो अपने समर्थकों पर कठोर नियंत्रण रखते हैं।

उपरोक्त राजनीतिक दलों के अनेकानेक दोष गिनाए गए हैं, लेकिन वास्तव में ये दोष मानवीय दुर्बलताओं और परिस्थितियों की अपूर्णताओं की प्रतिबिम्ब है। ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा मानवीय राजनीतिकदलों के दोषों को दूर किया जा सकता है। फिर भी इन सभी दोषों और कमियों के बावजूद राजनीतिक दल प्रजातंत्र के लिए अपरिहार्य है। अतः राजनीतिक दलों का महत्व निम्नलिखित हैं–

प्रकृति की तरह विभिन्न मनुष्यों के स्वभाव एवं विचारों में भिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा ही प्रकट हो सकती है, इसलिए दल मानवीय प्रकृति के नितान्त अनुकूल कहा जा सकता है।विश्व के अधिकॉश देशों के प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली के सभी कार्य राजनीतिक दल की सहायता से ही

सम्पन्न हो सकते हैं।राजनीतिक दल जनता को सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है। इनका उद्देश्य अपनी लोकप्रियता बढ़ाकर शासन–शक्ति पर अधिकार करना होता है। फाइनर के मत में–''राजनीतिक दल इस प्रकार कार्य करते हैं कि प्रत्येक नागरिक को सम्पूर्ण राष्ट्र का ज्ञान प्राप्त हो जाए जो समय और प्रदेश की दूरी के कारण अन्यथा असम्भव है।''

राजनीतिक दल संकुचित क्षेत्र से उपर उठकर देश और राष्ट्र के कल्याण को प्रेरित करते हैं।विवेकशीलता के कारण मनुष्यों में मतभेदों का होना नितान्त स्वाभाविक है और साथ ही आधारभूत समस्याओं के सम्बन्ध में अनेक व्यक्तियों के एक ही प्रकार के विचार भी होते हैं, राजनीतिक दलों द्वारा इस प्रकार की एकता बनाए रखने वाले व्यक्तियों को संगठित करने का उपयोगी कार्य किया जाता है, ताकि वे एक इकाई के रूप में कार्य कर सकें। राजनीतिक दलों के अभाव में विभिन्न संघर्षात्मक विचार–समूहों को एकता का अभाव है।राजनीतिक दल पुस्तकालय,वाचनालय एवं अध्ययन केन्द्र स्थापित करके बौद्धिक एवं सांस्कृतिक विकास में भी योगदान देते हैं।

लॉस्की का विचार है कि राजनीतिक दल का सबसे बड़ा गुण यह है कि ये जनता को अपने विवेक के प्रयोग का अवसर प्रदान करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र शासन की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल का सबसे अधिक प्रभावपूर्ण तथा सामंजस्यकारी तत्व है।

व्यावसायिक रूप से जनता से हमारा अभिप्राय है राज्य की अधिकांशतः जनता। और प्रजातन्त्र का नियम है बहुसंख्यक जनता जो निर्णय करे उसी का अनुपालन सारीजनसंख्या करती है। लेकिन इसका मतलब यह नही होना चाहिए बहुसंख्यक के सारे निर्णयों को अल्पसंख्यक पर लाद दिया जाये।प्रतिरोध को सकारात्मक रूप में भी लेना चाहिए । तत्कालीन परिस्थितियों में हो सकता है कि प्रतिरोध वर्तमान व्यवस्था, संस्थाओं को और अधिक बेहतर बनाने में अपनी महती भूमिका निभाने में सक्षम हों। किसी भी स्वस्थ एवम् क्रियाशील प्रजातन्त्र में अल्पसंख्यकों की भावनाओं का पूरा ख्याल रखना होता है। निर्णय लेने वाले बहुसंख्यक भले ही हो। इतिहास साक्षी है कि तर्क और विवाद ने हमेशा वातावरण को ताजगी प्रदान की है और कठिन से कठिन परिस्थिति में समाधान का विकल्प प्रस्तुत किया है।

यदि इन प्रतिध्वनियों का दमन किया जाता है तो परिणाम अपने आप में भयावह होता है और इसके बाद हो सकता है कि स्थापित व्यवस्था के विरूद्ध विद्रोह की स्थिति भी आ जायें । हिंसा खून–खराबा, विनाश, कुछ भी हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है ऐसी प्रतिध्वनि का सम्मान हो जो वर्तमान प्रजातान्त्रिक मूल्यों को संरक्षण प्रदान करते हो।

लोकतंन्त्र का मूल उद्देश्य समानता, स्वतन्त्रता और भातृत्व की भावनाओं को ग्रहण करना है। प्रजातन्त्र में नागरिक कई तरह से अपनी स्वतन्त्रता का उपभोग करते है जिनमें अर्थोपाजन, धार्मिक, राजनीतिक स्वतन्त्रता प्रमुख है। लेकिन इसका कदापि अर्थ यह नहीं लेना चाहिए कि इनका प्रयोग दूसरो के व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हितो या राष्ट्रीय हितो के खिलाफ किया जाये। क्योंकि प्रजातन्त्र जनता के लिए है और इसलिए जो भी चीजें जनता के हितों की अनदेखी करके होगी तो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था की नींव हिल जायेगी।राजनीतिक स्तर पर देखा गया है कि विरोध के दो स्तर है। अन्तर्दलीय असहमतियों में मुख्य बाते होती है कि यद्यपि दल के सदस्य दलीय सिद्धान्तो एवंम् अनुशासन के प्रतिपूर्ण आस्था रखते है तथापि दल के किसी खास सदस्य या गुट को किसी खास दलगत निर्णय या नेतृत्व के प्रति आपत्ति होती है। ऐसे विरोध का समाधान और सम्मान सदैव नेतृत्व को ही करना पड़ता है और असहमति रखने वाले व्यक्ति से भी यह आशा की जाती है कि वह अपना विरोध मंच पर ही उठायें और कही नही अन्यथा दल की साख खराब होने का डर रहेगा। यदि मजबूत दल द्वारा कमजोर दल को दबाया जाने लगा तब इससे एक दलीय व्यवस्था मजबूत होगी और निरंकुशता का भी जन्म होगा।

भारत में भी देखा गया है कि जब–जब असहमतियों का सम्मान नहीं हुआ तब–तब ऐसे नेतृत्व को जनता ने उखाड़ फेंका है। कांग्रेस पार्टी का बार–बार विभाजन 1969,1977,1995, इसका प्रमाण है।प्रजातन्त्र के अर्थ को स्पष्ट करते हुए प्रमुख विद्वानों द्वारा अपने विचार दिये गये है

जैसेः–लार्ड ब्राइस–''प्रजातन्त्र वह शासन प्रणाली है जिसमें शासन शक्ति एक विशेष या वर्गो में निहित न होकर समाज के सदस्यों में निहित होती है''।

आस्टिन– ''प्रजातन्त्र वह शासन है जिसमें जनता का अपेक्षाकृत बड़ा भाग शासन करता है।''सीले ने कहा ''प्रजातन्त्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है''। और सबसे अच्छा परिभाषा अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गयी कि ''प्रजातन्त्र शासन, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा संचालित होता है।

अगर सभी परिभाषाओं पर विचार करें तो स्पष्ट रूप से यही देखने को मिलता है कि प्रजातन्त्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सभी जनता की अपनी भागीदारी है और निःसन्देह सबके कल्याण की बात की गयी है। अगर प्रजातन्त्र के गुणों की बात की जाये तो जनता की शक्ति, समानता और स्वतन्त्रता आधारित शासन, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, शासन की कुशलता राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार इसके प्रमुख गुण है। और विश्वव्यापी स्तर पर देखा गया है कि अधिनायकतंत्र प्रजातन्त्र का विकल्प नहीं हो सकता। अतः लोकतन्त्र की सफलता के लिए कुछ निश्चित परिस्थितियो का होना आवश्यक है जैसे जनता की स्वतन्त्रता और समानता में विश्वास, जनसेवा की भावना, ईमानदारी, राजनीतिक विवके, प्रेस की स्वतन्त्रता इत्यादि। सामाजिक आर्थिक स्थिति के विषय में यही कहा जा सकता है कि जहॉ स्मृति और दरिद्रता की चरमसीमा पायी जाती है वहॉ प्रजातन्त्र सफल नहीं हो सकता।

प्रजातान्त्रिक समाज में कोई वर्ग या समूह अपनी संरचना एवम स्वरूप में अलग हो सकता है, लेकिन ऐसे में बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक की उपस्थीति में परिवर्तन इत्यादि के लिए हस्तक्षेप का अधिभार नहीं हो पायेगा। हर मानव अपने–अपने तरीके से रहना चाहता है। वह अपने मूल्यों के साथ जीना चाहता है। ऐसे में किसी तथाकथित समतामूलक

समाज की व्यवस्था के प्रयास के तहत उनकी जीवनशैली में हस्तक्षेप कही से भी विधिसम्मत नही है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अत्यन्त आवश्यक है। मजबूत विपक्ष द्वारा हमेशा गलत व कमजोर फैसलों का विरोध किया जाता है और किसी भी देश में मजबूत विपक्ष का ना होना लोकतन्त्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है । मजबूत विपक्ष आम जनमानस की मानसिकता, विचारधारा तथा महत्वाकांक्षाओं की विविधता को दर्शाता है साथ ही साथ यह सुनिश्चित भी करता है कि लोकतन्त्र में एक चालकानुवर्तित्व की स्थिति न बनें। मजबूत विपक्ष के लिए सिर्फ संख्या की अधिकता ही नही बल्कि नेता की कद्दावरता भी आवश्यक है। कमजोर विपक्ष लोकतन्त्र के लिए काफी बुरा है निःस्वार्थ भाव से देश के लिए काम कों, नये चेहरों की जरूरत है। आम–आदमी के हित के लिए सड़क पर उतरने वालो की जरूरत है। एक मजबूत विपक्ष की जरूरत ही और सत्ता पक्ष को इनकी आवाज को दबाना नही चाहिए बल्कि बारीकी से इन विचारो को गम्भीरता से समझना भी चाहिए। किसी भी देश में एक सच्चे लोकतन्त्र के लिए प्रतिरोधों की प्रतिध्वनि आवश्यक है। उससे देश के विकास और राष्ट्रीय हितों को एक नवीन गति मिलती है।

प्रजातन्त्र में सकारात्मक प्रतिरोधों का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए किंतु यह प्रयास होना चाहिए अपने विचार दूसरों परा आरोपित न किया जाये क्यों कि ऐसे प्रयास एक प्रकार की हिंसा की श्रेणी में आते है। जो मूलतः प्रजातांन्त्रिक भावना को आघात पहुँचाते है। चूंकि प्रजातन्त्र में जनता अपनी भावनाओं एवम इच्छाओं को तर्को के आधार पर स्थापित करती है इसलिए स्थापित मानदण्डों के साथ–साथ उठने वाले प्रतिरोधी मानदण्डों के प्रति सकारात्मक रवैया रखना आवश्यक हो जाता है।

इस प्रकार प्रजातन्त्र की प्रकृति एवम् दर्शन को देखते हुए हम कह सकते है कि यदि किसी देश अथवा समाज में जो प्रजातान्त्रिक होने का दावा करते है, प्रतिरोधी स्वर नहीं उठते है या असहमतियॉ नही पायी जाती है, तब यह समझना चाहिए कि व्यवस्था में कुछ न कुछ कमियॉ अवश्य है। इसलिए हमेशा इन प्रतिरोधों का सम्मान होना ही चाहिए।

सन्दर्भ स्रोत –

1. आधुनिक राजनीतिक विचारों का इतिहास, लेखक– ज्योति प्रसाद सूद, के0 नाथ एण्ड कम्पनी मेरठ 1995 पृष्ठ 313–336।
2. राजनीतिक संकल्पनायें, लेखक– जे0 सी0 जौहरी एस0 बी0पी0डी0 प0 हाउस सन् 2015 पृष्ठ 100।
3. राजनीतिक सिद्धांत, लेखक– ज्ञान सिंह सन्धु– हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, 1985 पृष्ठ–291।
4. माडर्न डेमोक्रेसीज, वाल्यूम–1 लेखक– ब्राइस, जेम्स, मैक्मिलन पब्लिकेशन न्यूयार्क 1921 पृष्ठ–134।
5. एन इन्ट्रोडक्सन टू द स्टडी आफ द लॉ आफ कान्सटीटयूशन, लेखक– डायसी आक्सफोर्ड प्रेस पब्लिकेशन–1985 पृष्ठ–77